

कार्यालय, नगर पालिका मण्डल, चौमूँ-जयपुर (राज.)

क्रमांक/न. पा., चौमूँ/2022/2392

दिनांक 16/8/22

श्रीमान् थानाधिकारी महोदय
पुलिस थाना चौमूँ जिला जयपुर (पश्चिम)

विषय- पत्रांक दस्ती दिनांक 13/08/2022

प्रसंग- मु. नं. 446/22 धारा 420,406,120 बीपीसी थाना चौमूँ दिनांक
30/06/2022 के अनुसंधान में रिकार्ड चाहने बाबत।

महोदय,

आप द्वारा मुकदमा अनुसंधान के संबंध में चाही गयी जानकारी बिन्दूवार कमशः निम्नानुसार सादर प्रेषित है-

1. पट्टा संख्या 66 दिनांक 2/12/21, पट्टा धारक गंगा देवी की पत्रावली समस्त प्रमाणित प्रतियां सलंग्न है।
2. पत्रावली पर पट्टाधारक श्रीमती गंगा देवी के किसी अन्य वारिसान या रिश्तेदार के नाम से कोई पट्टा जारी होना अंकित नहीं है। स्पष्ट उल्लेख के बिना चाही गयी सूचना की उपयुक्त जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
3. बिन्दू संख्या 3 की सूचना प्रत्युत्तर के बिन्दू संख्या 1 व 2 में निहित है।
4. पट्टा जारी करते समय आवेदक ने न्यायालय का स्थगन नहीं होने के शपथ पत्र प्रस्तुत किया। पट्टा धारक को नगर पालिका धारा 69क के तहत पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा मिथ्या/गलत तथ्यों के आधार पर यदि पट्टा जारी करवाया जाता है तो गुणागुण का अवलोकन कर पट्टा निरस्त करने की शक्तियां नगर पालिका को प्रदान है।

५५५५

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, चौमूँ